

कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी (म.प्र.)

॥ विविध आदेश ॥

क्रमांक/ .355. /S.W./एक-5-1/2005-25

बड़वानी, दिनांक 25/04/2025

--0--

यह आदेश मेरे अवकाश पर होने या मुख्यालय से बाहर होने या शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन अवकाश पर होने अथवा अन्य किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाने की अवस्था में लागू होगा।

यह आदेश मात्र जमानत आवेदन पत्रों के संबंध में ही प्रभावी रहेगा।

1. किसी अभियुक्त अथवा सहअभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 अथवा 483 भा.ना.सु.सं. किन्हीं विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया गया हो अथवा निराकरण हेतु लंबित हो तो ऐसी दशा में पश्चातवर्ती क्रम में उसी अपराध क्रमांक में उस अभियुक्त अथवा सह अभियुक्त का जमानत आवेदन उन्हीं विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी के न्यायालय में स्वयमेव अंतरित माना जावेगा।

2. यदि पूर्ववर्ती आवेदन पत्र विभिन्न अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा किसी अपराध क्रमांक विशेष में निराकृत किये गये हों तो, उससे संबंधित अन्य सहअभियुक्त के आवेदन पत्र उन विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया जावेगा, जिन्होंने कि सबसे अंत में (नवीनतम) जमानत आवेदन पत्र संबंधित अपराध क्रमांक के सहअभियुक्त का निराकृत किया गया हो अथवा उक्त न्यायालय में लंबित हो।

3. उक्त के अलावा परिवाद पर संस्थित प्रकरणों से उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र अवकाश पर गये विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश को छोड़कर उनके पंजीयन क्रमांक क्रम में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी के लगायत तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी के न्यायालय को क्रमानुसार 01-01 जमानत आवेदन स्वमेव अंतरित माना जावेगा।

4. यदि जमानत आवेदन पत्र से संबंधित कोई विशेष/सत्र प्रकरण किसी अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित/निराकृत हुआ हो अथवा जमानत आवेदन पत्र अंतरित होने के पश्चात यदि जमानत आवेदन पत्र भेजे गये संबंधित न्यायालय से इस टीप के साथ आवेदन पत्र वापस सत्र न्यायालय को प्राप्त होता है कि संबंधित सत्र प्रकरण/विशेष प्रकरण अन्य अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश बड़वानी के न्यायालय में लंबित है/निराकृत हुआ है, चाहे पूर्ववर्ती या सहअभियुक्त के आवेदन किसी अन्य न्यायालय द्वारा निराकृत किया गया हो तो उक्त जमानत आवेदन पत्र जिस न्यायालय में सत्र प्रकरण/विशेष प्रकरण लंबित है या निराकृत हुआ है, उस न्यायालय में स्वमेव अंतरित होना माना जावेगा।

5. कंडिका 01 से 04 की अवस्था के अनुसरण पश्चात शेष बचे प्रथम प्रतिभूति आवेदन पत्र निम्न तालिका अनुसार आरक्षी केन्द्र के समक्ष अंकित विशेष न्यायाधीश/अपर

सत्र न्यायाधीश को विधिवत निराकरण हेतु स्वमेव अंतरित माने जावेंगे। यदि भेजे जाने वाले संबंधित विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश अवकाश पर अथवा न्यायालय रिक्त हो तो उनके प्रथम प्रभार वाले न्यायाधीश एवं यदि प्रथम प्रभार वाले न्यायाधीश भी अवकाश/रिक्त है तो, द्वितीय एवं यदि द्वितीय प्रभार वाले न्यायालय अवकाश/रिक्त है तो, तृतीय प्रभार वाले न्यायाधीश के न्यायालय में निराकृत हेतु स्वयमेव अंतरित माने जावेंगे एवं यदि तृतीय प्रभार वाले न्यायालय अवकाश/रिक्त है तो, तत्पश्चात अंतिम प्रभारी **(न्यायिक अधिकारी के अनुपस्थिति में आवश्यक सिविल एवं आपराधिक कार्य सम्पादन के संबंध में वर्ष 2025 में जारी आदेशानुसार)** संबंधित विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी से निराकरण हेतु स्वमेव अंतरित माने जावेंगे तथा वह प्रभार पदकमानुसार कमागत होकर प्रभारी रहेगा।

क.	आरक्षीकेन्द्र / विभाग का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार
1	बड़वानी, पाटी, नागलवाड़ी	विशेष न्याया. (एस. सी. / एस. टी. एक्ट) बड़वानी	तृतीय अपर सत्र न्याया. बड़वानी	प्रथम अपर सत्र न्या. बड़वानी	द्वितीय अपर सत्र न्या. बड़वानी
2	सिलावद, ठीकरी, आबकारी वृत्त बड़वानी, अंजड़ व राजपुर	प्रथम अपर सत्र न्या. बड़वानी	द्वितीय अपर सत्र न्या. बड़वानी	विशेष न्याया. (एस. सी. / एस. टी. एक्ट) बड़वानी	तृतीय अपर सत्र न्याया. बड़वानी
3	पलसूद, राजपुर, वनवृत्त पाटी व बड़वानी, यातायात न्याया. बड़वानी,	द्वितीय अपर सत्र न्या. बड़वानी	विशेष न्याया. (एस. सी. / एस. टी. एक्ट) बड़वानी	तृतीय अपर सत्र न्याया. बड़वानी	प्रथम अपर सत्र न्या. बड़वानी
4	जुलवानिया, अंजड़, पुलिस थाना महिला बड़वानी	तृतीय अपर सत्र न्याया. बड़वानी	प्रथम अपर सत्र न्या. बड़वानी	द्वितीय अपर सत्र न्या. बड़वानी	विशेष न्याया. (एस. सी. / एस. टी. एक्ट) बड़वानी

6. केस डायरी/अभिलेख प्राप्ति पर ही संबंधित जमानत आवेदन पत्र स्वमेव अंतरित माना जावेगा।

7. **उक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त** अन्य किसी परिस्थिति वाले प्रतिभूति/जमानत आवेदन पत्र विशेष न्यायाधीश (एस. सी. / एस. टी. एक्ट) बड़वानी के द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके इंचार्ज न्यायाधीश **(न्यायिक अधिकारी के अनुपस्थिति में आवश्यक सिविल एवं आपराधिक कार्य सम्पादन के संबंध में वर्ष 2025 में जारी आदेशानुसार)** को विधिवत निराकरण हेतु स्वमेव अंतरित माने जावेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(महेन्द्र कुमार जैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)

पू.क./1028/एक-5-1/2005-25

बड़वानी, दिनांक 25/04/2025

प्रतिलिपि :- आदेशानुसार

- 01-विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बड़वानी।
- 02-प्रथम / द्वितीय / तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी / सेंधवा।
- 03-अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बड़वानी/अंजड़/राजपुर/सेंधवा/खेतिया।
- 04-प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी।
- 05-प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

25/04/25

प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)